रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2000/ज्येष्ठ 15, 1922

No. 318] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2000/JYAISTHA 15, 1922

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2000

सा. का. नि. 519(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विलायक, रैफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;-

(क) "आटोमोबाइल" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा सड़क परिवहन प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत है और जहां ऐसे आटोमोबाइल में प्रयोग के लिए प्रमाणित ईंधन मोटर स्पीरिट, उच्च गति डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या संपीडित प्राकृतिक गैस है ;

(ख) "सरकारी तेल कंपनी" से ऐसी तेल परिष्करण कंपनी या तेल विपणन कंपनी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है ;

(ग) "उच्च गति डीजल" से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल (खनिज कोल्ज़ा तेल और तारपीन प्रतिस्थापक को छोड़कर) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं. आई एस-1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जो संपीडन प्रज्वलन इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ;

(घ) "मोटर स्पीरिट" से ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन तेल (अपरिष्कृत खनिज तेल को छोड़कर) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं. आई एस-2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और स्फुलिंग उत्पापन इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ;

(ङ) "तेल कंपनी" से उपभोक्ताओं और/या डीलरों को, मोटर स्पीरिट और/या उच्च गति डीजल के विक्रय में लगा हुआ कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है ;

(च) "अन्य उत्पाद" से इसके नीचे यथा परिभाषित विलायक, रेफिनेट या स्लॉप अथवा उनके समतुल्यों से भिन्न ऐसा कोई उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें मोटर स्पीरिट और / या उच्च गति डीजल में घुलने की शक्ति या सामर्थ्य है ;

(छ) "रेफीनेट" से ऐसी द्रव निष्कर्षण प्रक्रिया में, जहां विलायक का उपयोग हाइड्रोकार्बन मिश्रण में दो संघटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है, पतली विलायक धारा अभिप्रेत है ;

(ज) "स्लॉप" से किसी उद्योग में संयंत्र प्रचालन की अस्थिर अवधि के दौरान जनित ऐसे उत्पाद की धारा अभिप्रेत है, जो तैयार नहीं है :

(झ) "विलायक" से पेट्रोलियम या कोयला से सीधे या परोक्ष रूप में निकाला गया वाष्पशील प्रभाजित अभिप्रेत है । ये विलायक प्रोपेन, बेनजीन, टोलवीन, ज़ाईलीन आदि जैसे एकल हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं या कम अथवा अधिक क्वथन रेंज के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं ।

3. विलायकों, रेफीनेट, स्लॉप और अन्य उत्पाद के विक्रय पर निर्बन्धन :-

(1) कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के बिना विलायक, रेफीनेट, स्लाप या उनके समतुल्यों या अन्य उत्पाद का अर्जन, भंडारण और विक्रय नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, मोटर स्पीरिट और उच्च गति डीजल को छोड़कर किसी आटोमोबाइल में विलायक, रेफीनेट, स्लाप या उनके समतुल्यों या अन्य उत्पाद का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी रीति में उनके प्रयोग में सहायता करेगा ।

परंतु इस आदेश की कोई बात आटोमोबाइल पर अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ऐसे उत्पादों के उपयोग को प्रवरित नहीं करेगी ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी प्रयोजन के लिए, विलायक, रेफीनेट, स्लॉप या उनके समतुल्यों या अन्य उत्पादों के, चाहे वह आयातित हो अथवा स्वदेशी, विक्रय या व्यापार में लगा है, ऐसे उपभोक्ताओं से, जिन्हें वह विक्रय करता है, प्रयोग करके समाप्त करने का प्रमाणपत्र फाइल करेगा और त्रैमासिक आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकरणों को, उपभोक्ता-वार विक्रय भी प्रस्तुत करेगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी पेट्रो-रसायन के विनिर्माण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विलायक, रेफीनेट, स्लॉप या उनके समतुल्यों या अन्य उत्पादों के, चाहे वह आयातित हो अथवा स्वदेशी, उपयोग में लगा है, त्रैमासिक आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकरणों को, चाहे उनका कोई भी नाम हो, उपयोग करके समाप्त करने का प्रमाणपत्र फाइल करेगा ।

4. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी, या केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस के उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकारी तेल कंपनी या तेल कंपनी का कोई ऐसा अधिकारी, जो विक्रय अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के विचार से या स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश का या इसके अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन किया गया है,—

(क) किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जो किसी ऐसे डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, जो ऐसे डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता है, जिसकी बाबत यह विश्वास करने के कारण हैं कि उसके द्वारा इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, कारबार में प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग किए जाने की आशंका है ।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस आदेश के उल्लंघन में उत्पादों का उपयोग या प्राप्त कर रहा है या ऐसे यान या पात्र को, जो उत्पाद को इधर-उधर करने के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग करने के लिए आशयित है, रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।

(ग) किसी ऐसी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज या उत्पाद के स्टाक की जांच कर सकेगा, जिसे डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसके डीलर, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता का

कर्मचारी या अभिकर्ता होने की आशंका है, कारबार में उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने की आशंका है ।

(घ) उत्पाद के नमूने ले सकेगा और ऐसे उत्पाद के स्टाकों का अभिग्रहण कर सकेगा, जिसके लिए अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उल्लंघन में उसका उपयोग किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और इसके पश्चात् इस प्रकार अभिग्रहीत स्टाकों / [illegible] को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन अधिकारिता रखने वाले कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने और ऐसे प्रस्तुत किए जाने के लंबित रहने के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगा या ऐसे उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करते समय [illegible]धिकृत अधिकारी, ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा, जिसकी एक प्रति डीलर, परि[illegible]कर्ता, उपभोक्ता या संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध जहां तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे ।

5. उत्पाद के नमूने लेना :

(1) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, टैंक, नोजल, यान या पात्र से, यह जांच करने के लिए नमूने ले सकेगा कि क्या इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है ;

(2) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, उत्पाद के 750 मि.ली. से 1 लीटर तक के तीन नमूने लेकर हस्ताक्षरित और सीलबंद करेगा, जिसमें से एक संबद्ध व्यक्ति को अभिस्वीकृति के अधीन इस अनुदेश के साथ दिया जाएगा कि वह नमूने को तब तक अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में परिरक्षित करे जब तक परीक्षण / अन्वेषण पूरा न हो जाए, दूसरा नमूना संबद्ध तेल कंपनी या विभाग द्वारा रखा जाएगा और तीसरा प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाएगा ।

(3) नमूने कांच या एल्यूमिनियम के साफ आधानों में लिया जाएगा और नमूने लेने के लिए प्लास्टिक के आधानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(4) नमूने का लेबल नमूने लेने वाले अधिकारी और संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और लेबल पर उत्पाद, अभिग्रहण का स्थान, नमूने की मात्रा, आंकड़े, संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी होगी ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, उपखंड (2) के अधीन लिए गए तीसरे नमूने को 10 दिन की अवधि में उत्पाद की जांच के लिए, नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, मोटर स्पीरिट और उच्च गति डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और अनाचार का निवारण) आदेश, 1998 की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में से किसी को भेजेगा ।

6. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति :

केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, समय-समय पर, किसी व्यक्ति को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी, जिसे वह उत्पाद के भंडारण, विक्रय परिवहन और निपटान और उत्पाद के उपयोग के संबंध में आवश्यक समझे और ऐसे निदेश देने पर, ऐसा व्यक्ति उनके अनुपालन के लिए आबद्ध होगा ।

7. आदेश के उपबंधों का राज्य सरकार के पूर्व आदेशों पर अभिभावी होना :

इस आदेश के उपबंध, किसी राज्य सरकार या ऐसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, सिवाय उन बातों के, जिन्हें उसके अधीन ऐसे प्रारंभ से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

[फा. सं. पी. 11013/4/98-डी.आई.एस.टी]

नरेश नारद, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2000

G.S.R. 519(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, extent and commencement –

(1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In this Order, unless the context otherwise requires:-

(a) **"automobile"** means any vehicle registered with the Road Transport Authority by any person where fuel certified for use in such automobile is motor spirit, high speed diesel, liquified petroleum gas or compressed natural gas;

(b) **"Government Oil Company"** means an oil refining company or oil marketing company which is a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) **"high speed diesel"** means any hydrocarbon oil (excluding mineral colza oil and turpentine substitute) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards, specification No. IS-1460 and is suitable for use as fuel in compression ignition engines;

(d) **"motor spirit"** means any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No.IS-2796 and is suitable for use as fuel in spark ignition engines;

(e) **"oil company"** means any person, firm or company engaged in sale of motor spirit and ,or the high speed diesel to consumers and,or the dealers and authorised to do so by the Central Government;

(f) **"other product"** means a product other than solvent, raffinate or slop as defined hereunder and or their equivalent, having the power or ability to dissolve in motor spirit and, or the high speed diesel;

(g) **"raffinate"** means a lean solvent stream in liquid extraction process where solvent is used to separate two components in hydrocarbon mixture;

(h) **"slop"** means unfinished product stream generated in any industry during unstabilised period of plant operation;

(i) "**solvent**" means volatile fractions derived either directly or indirectly from petroleum or coal. These solvents can be single hydrocarbon components like propane, benzene, toluene, xylene etc. or narrow or wide boiling ranges of hydrocarbon.

3. **<u>Restriction on sale and use of solvents, raffinates, slops and other product:-</u>**

(1) No person shall either acquire, store or sell solvents, raffinates, slops or their equivalent and other product, without a licence, issued by the State Government or the District Magistrate or any other Officer authorised by the Central or the State Government.

(2) No person shall either use or help in any manner the use of solvents, raffinates, slops or their equivalent or other product except motor spirit and high speed diesel, in any automobile.

Provided that nothing in this Order shall preclude the use of such products for research purposes on automobiles.

(3) Any person whosoever is engaged in the sale or trading of solvents, raffinates, slops or their equivalent and other product, either imported or indigenous, for any purpose, whatsoever, shall file end-use certificates from consumers to whom he sells and furnish customer-wise sales to the District Magistrate or to the State Civil Supplies Authorities, on a quarterly basis.

(4) Any person whosoever is engaged in use of solvents, raffinates, slops or their equivalent and other product, either imported or indigenous for manufacture of any petrochemicals or any other purpose shall file end-use certificates to the District Magistrate or the State Civil Supplies Authorities, on a quarterly basis.

4. **Power of search and seizure :-**

(1) Any gazetted officer of the Central or the State Government or any police officer not below the rank of Deputy Superihtendent of Police duly authorised, by general of special order by the Central or the State Government or any officer of a Government oil company or any other oil company authorised by the Central Government, not below the rank of Sales Officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order, or for the purpose of satisfying himself that this Order or any order made thereunder has been complied with -

(a) enter and search any place or premises being used or suspected to be used in the business of the dealer, transporter, consumer or any other person who is an employee or agent of such dealer,transporter,consumer with respect to which there is reason to believe that the provisions of this Order have been or are being or are about to be contravened;

(b) stop and search any person or vehicle or receptacle used or intended to be used for the movement of the product or using or receiving the product in contravention of this Order;

(c) inspect any book of accounts or other document or any stock of the product used or suspected to be used in the business of the dealer, transporter, consumer or any other person suspected to be an employee or agent of the dealer, transporter or consumer;

(d) take samples of the product and seize any of the stocks of the product which the officer has reason to believe has been or is being or is about to be used in contravention of this Order and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks or items so seized before the Collector having jurisdiction under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 and for their safe custody pending such production

(2) While exercising the power of seizure provided under sub-clause (d) of clause (1), the authorised officer shall record in writing the reasons for doing so, a copy of which shall be given to the dealer, transporter, consumer or any other concerned person.

(3) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

5. **Sampling of Product :-**

(1) The officer authorised in clause 4 shall draw the sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle, as the case may be, to check whether the provisions of this Order are being or likely to be contravened.

(2) The officer authorised in clause 4 shall take, sign and seal three samples of 750 ml to 1 litre each of the product, one to be given to the concerned person under acknowledgement with instructions to preserve the sample in his safe custody till the testing and investigations are complete, the second sample shall to be kept by the concerned oil company or Department and the third to be used for laboratory analysis

(3) The samples shall be taken in clean glass or aluminium containers and no plastic containers shall be used for drawing samples.

(4) The sample label should be jointly signed by the officer who has drawn the sample, and the concerned person or his representative and the lable shall contain information as regards the product , place of seizure,quantity of sample, data, name and signature of the concerned person or his representative.

(5) The authorised officer shall send the third sample of the product taken under sub-clause (2), within a period of ten days, to any of the laboratories specified in Schedule III of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 for the purpose of analysis of samples to check the product.

6. **Power of Central and the State Government to issue directions:-**

The Central Government of a State Government with the approval of the Central Government may, from time to time, by a general or special order issue to any person such directions as it considers necessary regarding storage, sale, transportation and disposal and use of product and upon the issue of such directions, such person shall be bound to comply therewith.

7. **Provision of the Order to prevail over previous orders of State Government :**

The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any order made by a State Government or by an officer of such State Government before the commencement of this Order except as respects anything done, or omitted to be done thereunder before such commencement.

[File No. P. 11013/4/98-Dist.]
NARESH NARAD, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.